

# न्यायालय तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

राजस्व मुकदमा नम्बर - 15/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का दुर्गावास  
बनाम

श्री गोपाल सिंह पुत्र दूद सिंह कौम रावत निवासी रामावास

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 18/11/19


सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम रामावास पटवार मण्डल दुर्गावास तहसील ब्यावर के खसरा नम्बर 154/1 कुल रकबा 16-02-00 किस्म सिवायचक दांती मे से रकबा 00-05-00 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्री श्री गोपाल सिंह पुत्र दूद सिंह कौम रावत निवासी रामावास ने पक्का निर्माण व तीन कमरे बनाकर अवैध रूप से अतिचार करने पर पटवारी दुर्गावास ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, अतः प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से बेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम दुर्गावास की सरकारी सिवायचक भूमि के ख.नं. 154/1 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध पक्का निर्माण व तीन कमरे के रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रु. 0.10 का पचास गुना राउड फीगर राशि रु. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी /भू0अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/बेदखली/ ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।



  
तहसीलदार, ब्यावर

Scanned by CamScanner

